(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2306-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दि.16-6-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर जिला धार, प्रकरण क्रमांक 61/बी-121/2015-16

1-नारायण पिता उदा सिर्वी
2-बाबूलाल पिता ओटा सिर्वी
निवासीगण ग्राम धुलेट तहसील सरदारपुर जिला धार

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-मीराबाई पति सेवसिंह
2-मुन्नालाल पिता पन्नालाल
3-गेंदालाल पिता पन्नालाल
निवासीगण ग्राम धुलेट तहसील सरदारपुर जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक--आवेदकगण

** आ दे श **

(आज दिनांक 1/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक 37/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दि. 26-9-2014 की प्रति के साथ संहिता की धारा 38 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रति पेश करने हेतु बार बार समय चाहे जाने पर दिनांक 16-6-2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आगामी पेशी पर स्थगन की प्रति पेश नहीं होने पर अवसर समाप्त किये जाकर आगामी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को न्यायहित में वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर स्थगन प्रति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने में त्रुटि की गई है क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त था तथा उसे वरिष्ठ न्यायालय से बढवाया जाकर प्रति पेश करने का अवसर आवेदक द्वारा चाहा गया था जिसे नहीं देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगरानी प्रकरण क्रमांक 3498-पीबीआर/2014 में पारित आदेश दिनांक 25-7-2018 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही का अब औचित्य नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर